

प्रधानाचार्य,

सुगस्त राजकीय एवं निजी पॉलीटेक्निक,

संस्थान कोड संख्या _____

विषय:- अंको की पुनः गणना की तिथियों के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- परीक्षा प्रथम वर्ष मई-2012 परिणाम सत्र 2011-2012.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रथम वर्ष मई-2012 परिणाम सत्र 2011-2012 का परीक्षा परिणाम दिनांक 27.9.2012 को घोषित हो चुका है। अंको की पुनः गणना के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें-

1. पुनः गणना सम्बन्धी प्रपत्रों का प्रारूप मण्डल की वेब साईट <http://techedu.rajasthan.gov.in> पर (BTET ⇌ Re-Totalling) पर Excel Sheet में उपलब्ध है। प्रारूप मण्डल की वेब साईट से डाउनलोड करें।
2. छात्र केवल अधिकतम दो सैद्धांतिक विषयों में ही अंको की पुनः गणना करवा सकता है सेशनल एवं प्रैक्टिकल विषयों में पुनः गणना करवाने का प्रावधान नहीं है।
3. पुनः गणना का शुल्क प्रति विषय रुपये 100/- निर्धारित है। सभी विद्यार्थियों का शुल्क डी. डी. (निजी महाविद्यालय) अथवा चालान की मूल प्रति (राजकीय महाविद्यालय) के माध्यम से एक साथ ही निर्धारित तिथि तक मण्डल में पहुँच जाने चाहिए। डीडी/चालान तैयार करवाने की अंतिम तिथि 17.10.12 हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात के चालान/डीडी स्वीकार्य नहीं होंगे एवं इस हेतु पुनः गणना का कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान प्रधान की होगी।
4. यदि कोई विद्यार्थी दो से अधिक विषयों में पुनः गणना का आवेदन पत्र भर देता है तथा शुल्क भी जमा करवा देता है तो मण्डल अपने स्तर पर किन्हीं दो विषयों के अंको की पुनः गणना करेगा तथा छात्र का शुल्क न तो समायोजित किया जायेगा और ना ही लौटाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
5. इन आवेदन पत्रों का पूर्ण ब्यौरा Excel Sheet में सॉफ्ट कोपी (CD) एवं हार्ड कोपी मय परिशिष्ट (प्रिन्ट आउट) निर्धारित तिथि तक आवश्यक व्यक्तिगत रूप से मण्डल में भिजवावें।
6. पुनः गणना आवेदन पत्र (Retotalling Form) परिशिष्ट एवं Excel Sheet का प्रारूप मण्डल की उपरोक्त वर्णित वेब साईट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों से प्राप्त मूल आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान अपनी संस्थान में ही सुरक्षित रखावें।
7. घोषित परिणाम के परीक्षार्थियों के लिए अंको की पुनः गणना के आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 12.10.2012 है तथा सॉफ्ट कोपी (CD) एवं हार्ड कोपी (प्रिन्ट आउट) मण्डल में दिनांक 19.10.2012 तक आवश्यक व्यक्तिगत रूप से पहुँचाना सुनिश्चित करावें।
8. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान प्रधान की होगी।
9. उपरोक्त आवेदन पत्र, परिशिष्ट व सीडी व चालान/डीडी संस्थान के प्रतिनिधि के माध्यम से ही मंडल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करावें।

भवदीय
शैक्षणिक अधिकारी